95.38 प्रतिशत किसानों ने बेचा धान - विपणन वर्ष 2020–21 में कुल पंजीकृत किसानों में से रिकार्ड 95.38 प्रतिशत किसानों ने धान बेचा। धान बेचने वाले किसानों की संख्या इस साल सबसे अधिक है। इस वर्ष पंजीकृत 21 लाख 52 हजार 475 किसानों में से 20 लाख 53 हजार 483 किसानों ने अपना धान बेचा है।

धान खरीदी का कीर्तिमान - छत्तीसगढ़ में नई सरकार के गठन के बाद समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले किसानों की संख्या, कुल पंजीकृत रकबा, बेचे गए धान के रकबे, धान बेचने वाले किसानों के साथ–साथ कुल उपार्जित धान की मात्रा में भी उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। वर्ष 2020–21 में राज्य गठन के 20 वर्षों में इस वर्ष छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक 92 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान खरीदी का नया कीर्तिमान बना है।

कृषि ऋण माफी - राज्य के किसानों के ऊपर बकाया लगभग 9 हजार 270 करोड़ रूपए का कृषि ऋण माफ करने का क्रांतिकारी फैसला लिया गया, जिसका लाभ राज्य के 18 लाख 82 हजार किसानों को मिला।

सिंचाई कर माफी - किसानों पर वर्षों से बकाया 244.18 करोड़ रुपये के सिचाई कर की माफी का लिया गया।

किसानों को निःशुल्क एवं रियायती विद्युत सुविधा - राज्य के 5 लाख से अधिक किसानों को निःशुल्क एवं रियायती दर पर बिजली उपलब्ध कराकर सालाना लगभग 900 करोड़ रूपए की राहत दी गई।

सिंचाई पंपों का ऊर्जीकरण - राज्य में बीते 2 वर्षों में 63 हजार सिंचाई पंपों का ऊर्जीकरण किया गया है।

सिंचाई क्षमता दोगुना करने की पहल - राज्य में जल संसाधन विकास का काम भी व्यवहारिक सोच के साथ किया जा रहा है, जिसके कारण वास्तविक सिंचाई का सर्वाधिक लाभ किसानों को मिलने लगा है। 5 वर्षों में सिंचाई क्षमता दोगुनी करने के लिए एक ओर जहां पुरानी योजनाओं को शीघ्रता से पूरा किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर 15 नई वृहद सिंचाई परियोजनाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है प्रदेश में जल संसाधन विकास को उच्च प्राथमिकता देने और समग्र पदों पर सार्थक पहल के लिए नई जल संसाधन नीति तैयार की जा रही है।

कृषि ऋण वितरण का बना रिकार्ड - किसानों को ब्याज मुक्त कृषि ऋण देने के मामले में इस वर्ष नया कीर्तिमान बना है जिसके अनुसार प्रदेश में पहली बार लगभग 4700 करोड रुपए की कृषि ऋण राशि 12 लाख 66 हजार किसानों को दी गई है।

फसल क्षतिपूर्ति - बेमौसम बरसात, ओलावृष्टि जैसी आपदाओं से हुई क्षति की भरपाई के लिए लगभग 6 लाख किसानों को 411 करोड़ रुपए की सहायता दी गई है।

वास्तविक सिंचाई क्षमता में 3.32 लाख हेक्टेयर की वृद्धि - वर्ष 2020 में लगभग 45000 हेक्टेयर में नवीन जल संसाधनों का निर्माण तथा पुरानी योजनाओं में सिंचाई का पुनर्स्थापन किया गया। जल संसाधनों के बेहतर प्रबंधन से 2 वर्षों में वास्तविक सिंचाई 9 लाख 68 हजार हेक्टेयर से बढ़कर 13 लाख हेक्टेयर हो गई है जो अपने आप में एक कीर्तिमान हैं। बोधघाट बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना सहित 15 नवीन सिंचाई योजनाओं पर अमल शुरू किया गया है।

रिजर्व बैंक ने छत्तीसगढ़ को सराहा - देशव्यापी लॉकडॉउन के बावजूद छत्तीसगढ़ के कृषि क्षेत्र में आर्थिक तेजी बनी रही, जिसे रिजर्व बैंक ने भी सराहा है।

लाख की खेती को कृषि का दर्जा - छत्तीसगढ़ में लाख की खेती को कृषि का दर्जा दिया गया है। लाख उत्पादक कृषकों एवं समूहों को कृषि फसलों के अनुरूप अल्पकालीन कृषि ऋण एवं ऋण पर नियमानुसार ब्याज अनुदान दिया जाएगा। इससे प्रदेश के 50 हजार से अधिक वनवासी कृषक लाभान्वित होंगे।

फसल चक्र परिवर्तन - राज्य में खरीफ 2019 में धान फसल का क्षेत्र 38.76 लाख हेक्टेयर था। खरीफ 2020 में धान फसल का प्रस्तावित क्षेत्र 33 लाख हेक्टेयर किया गया है, जिसमें 1.76 लाख हेक्टेयर धान फसल के बदले अन्य फसल जैसे– मक्का, दलहनी एवं तिलहनी फसलों की बोनी की गई है।

कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा - वर्ष 2020–21 में राज्य में कृषकों को 525 स्वचालित यंत्र जैसे– पावर टिलर, रीपर, पैडी ट्रांसप्लांटर, 1092 शक्ति चालित यंत्र जैसे– सीड ड्रील, रोटावेटर, प्लाऊ, थ्रेसर, कल्टीवेटर आदि तथा 4154 हस्त एवं बैल चलित यंत्र एवं 155 नग ट्रेक्टर वितरण का लक्ष्य पूर्णता की ओर है।

बोधघाट सिंचाई परियोजना - इन्द्रावती नदी पर 22 हजार 653 करोड़ की बोधघाट बहुद्देशीय सिंचाई परियोजना के सर्वे के लिए 41.54 करोड़ रूपए की स्वीकृति दी गई है। सर्वे का काम जारी है। इस परियोजना से बस्तर संभाग के दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर जिले में 3 लाख 66 हजार हेक्टेयर में सिंचाई तथा 300 मेगावाट विद्युत उत्पादन होगा।

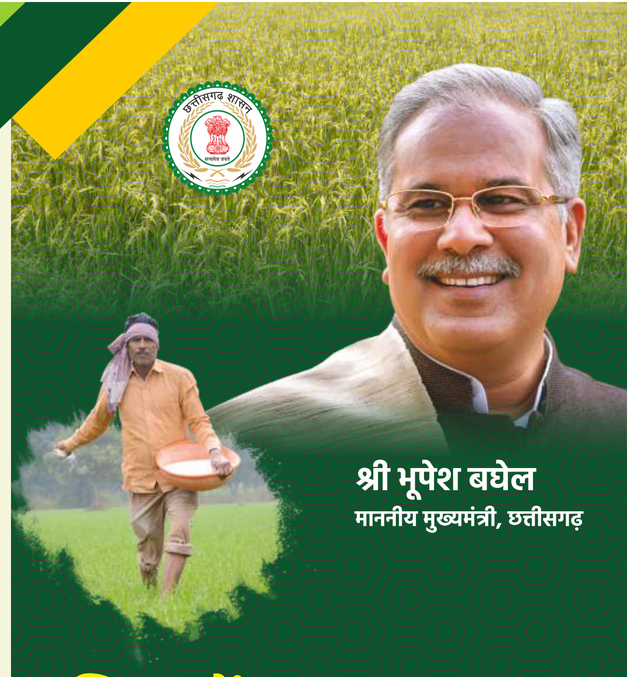

श्री भूपेश बघेल
माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

किसानों का बढ़ा मान मिला न्याय और सम्मान

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ की पहचान बीते दो सालों में किसानों के साथ न्याय करने वाले राज्य के रूप में कायम हुई है। राज्य के किसानों के हितों की रक्षा और उन्हें सीधे-सीधे लाभ पहुंचाने के लिए मौजूदा सरकार ने, जो फैसले लिए हैं, नीतियां और योजनाएं बनाई हैं, उसके चलते किसानों और ग्रामीणों के जीवन में खुशहाली का नया दौर शुरु हो गया है। यही वजह है कि राज्य में कृषि रकबे और किसानों की संख्या में बढ़ोतरी के साथ ही खेती-किसानी के प्रति रुझान बढ़ा है।

छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों से जैसा कहा था, वैसा करके दिखाया है। राज्य के किसानों को सरकार ने न सिर्फ सम्मान से जीने का अवसर उपलब्ध कराया है, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक नई गति दी है। सत्ता की बागडोर संभालते ही मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने, जो सबसे बड़ा निर्णय लिया वह था किसानों के कर्ज को माफ करना। किसानों से धान खरीदी के वायदे को पूरा कर भूपेश सरकार ने, जो कहा -सो किया, को सच साबित कर दिखाया है। किसानों पर बकाया सिंचाई कर की माफी, कृषि भूमि अधिग्रहण के मुआवजे में वृद्धि सहित किसानों के हित में लिए गए अनेक फैसलों ने छत्तीसगढ़ को किसान कल्याण राज्य के रूप में देश का मॉडल बना दिया है।

किसानों को लगभग 90 हजार करोड़ की सीधी मदद- बीते दो सालों में छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों की कर्जमाफी, सिंचाई कर माफी, समर्थन मूल्य पर धान खरीदी, खरीफ एवं रबी फसलों की बीमा दावा राशि, राजीव गांधी किसान न्याय योजना और गोधन न्याय योजना जैसी किसान हितैषी नीतियों एवं कार्यक्रमों के माध्यम से लगभग 90 हजार करोड़ रूपए से अधिक की राशि का भुगतान सीधे किसानों के खातों में किया है।

सुराजी गांव योजना - छत्तीसगढ़ राज्य में जल संरक्षण, पशु संवर्धन, मृदा स्वास्थ्य एवं पोषण प्रबंधन के लिए 'सुराजी गांव योजना' के माध्यम से नरवा, गरूवा, घुरूवा, बाड़ी संरक्षण एवं संवर्धन का महत्वाकांक्षी कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। राज्य के सभी विकासखण्डों के चयनित ग्रामों में गौठानों का निर्माण, वर्मी कम्पोस्ट का उत्पादन के साथ ही ग्रामीणों को स्वावलंबी बनाने के लिए आयमूलक गतिविधियों का संचालन एवं बाड़ी में साग–सब्जी पैदा की जा रही है।

5195 गौठान निर्मित - सुराजी योजना के प्रमुख घटक गरूवा के अंतर्गत राज्य में 9050 गौठान के निर्माण की स्वीकृति दी गई है। अब तक राज्य में 5195 गौठान निर्मित हो चुके हैं, जबकि 3800 से अधिक गौठान निर्माणाधीन है। गौठानों के संचालन हेतु गौठान समितियों को प्रतिमाह 10 हजार का अनुदान दिए जाने का प्रावधान है।

55 हजार वर्मी टांकों का निर्माण - गौठानों में वर्मी कम्पोस्ट के उत्पादन के लिए लगभग 55 हजार टांकों का निर्माण पूरा करा लिया गया है, जिसकी मदद से बड़ी मात्रा में वर्मी खाद का उत्पादन किया जा रहा है।

आयमूलक गतिविधियों से 875 करोड़ की आय - गौठानों में स्व–सहायता समूह के माध्यम से संचालित विभिन्न आयमूलक गतिविधियों जैसे वर्मी खाद उत्पादन, सामुदायिक बाड़ी, मशरूम उत्पादन, मछली, बकरी, मुर्गी पालन, गोबर दीया, गमला, अगरबत्ती के निर्माण एवं विक्रय से 875 करोड़ रूपए की आय प्राप्त हो चुकी है।

राजीव गांधी किसान न्याय योजना - राज्य में फसल उत्पादकता में वृद्धि और किसानों को कृषि आदान सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से राजीव गांधी किसान न्याय योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना के तहत राज्य के 19 लाख से अधिक किसानों को 5750 करोड़ रूपए की आदान सहायता चार किश्तों में दी जा रही है। योजना के तहत तीन किश्तों में किसानों को 4500 करोड़ रूपए की राशि दी जा चुकी है। चौथी किश्त मार्च माह के अंत तक किसानों के खातों में अंतरित कर दी जाएगी। इस योजना के द्वितीय चरण में राज्य के भूमिहीन श्रमिकों को भी शामिल किया जाएगा। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत धान के साथ–साथ 13 अन्य फसलों जैसे मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, तिल, अरहर, उड़द, कुल्थी, रामतिल कोदो–कुटकी, रागी तथा गन्ना फसल के रकबे के आधार पर आदान सहायता राशि किसानों दी जाएगी।

गोधन न्याय योजना - प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में पशुधन संरक्षण एवं संवर्धन के उद्देश्य से ग्रामीणों, किसानों एवं पशुपालकों को प्रेरित एवं प्रोत्साहित करने के लिए गोधन न्याय योजना की शुरूआत 20 जुलाई 2020 हरेली पर्व से की गई है। इस योजना के तहत पशुपालकों से 2 रूपए किलो की दर से गौठानों में गोबर की खरीदी की जा रही है। गोधन न्याय योजना देश–दुनिया की अनूठी योजना है। इस योजना से ग्रामीणों, किसानों एवं पशुपालकों को सीधे आर्थिक लाभ होने के साथ ही कई और फायदे हैं।

गोधन न्याय योजना से खेती को बढ़ावा- गोधन न्याय योजना से खुले में पशु चराई तथा फसलों को चराई की वजह से होने वाले नुकसान पर रोक लगेगी। किसान दोहरी फसल ले सकेंगे। इससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। गोबर से वर्मी कम्पोस्ट तैयार की जाएगी। जिससे जैविक खेती को बढ़ावा मिलेगा। वर्मी कम्पोस्ट के उपयोग से रासायनिक खादों पर निर्भरता तथा खेती की लागत में कमी आएगी। विषरहित खाद्यान्न का उत्पादन होगा। वर्मी कम्पोस्ट से उत्पादित खाद्यान्न की अधिक कीमत मिलेगी, जिससे किसानों को फायदा होगा।

72 करोड़ रूपए की गोबर खरीदी - गोधन न्याय योजना के तहत राज्य में 20 जुलाई 2020 से लेकर 15 जनवरी 2021 तक 35 लाख 86 हजार क्विंटल से अधिक गोबर की खरीदी की गई है। गोबर विक्रताओं को 15 जनवरी 2021 तक 71 करोड़ 72 लाख रूपए का भुगतान किया जा चुका है।

कृषि भूमिअधिग्रहण मुआवजा अब चार गुना - राज्य शासन द्वारा विकास योजनाओं के लिए किसानों की भूमि के अधिग्रहण पर मुआवजा राशि, दोगुना से बढ़ाकर चार गुना कर दी गई है।

छत्तीसगढ़ कृषि मंडी संशोधन अधिनियम - छत्तीसगढ़ सरकार ने केंद्र सरकार के तीन नए कृषि कानूनों से राज्य के किसानों और आम नागरिकों के हितों की रक्षा के लिए छत्तीसगढ़ कृषि मंडी संशोधन अधिनियम पारित किया है। इसके जरिए कृषि उपज के क्रय–विक्रय पर निगरानी, डीम्ड मंडी एवं इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की स्थापना की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है ।

समृद्ध होती खेती-किसानी - राज्य में खेती–किसानी समृद्धि का अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि बीते दो सालों में न सिर्फ खेती के रकबे में वृद्धि हुई है, बल्कि किसानों की संख्या में भी बढ़ोत्तरी हुई है। वर्ष 2017–18 में जब भाजपा सरकार प्रदेश की सत्ता पर काबिज थी, उस दौरान धान बेचने वाले किसानों की संख्या लगभग 15 लाख और धान खरीदी अधिकतम 55–56 लाख मैट्रिक टन थी। आज राज्य में धान बेचने वाले किसानों के पंजीयन का आंकड़ा बढ़कर 21 लाख 52 हजार 475 तथा धान का पंजीकृत रकबा 27 लाख 61 हजार हेक्टेयर से अधिक हो गया है।